APP-A
Crime-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत .... मुकाम ....

महेन्द्र सिंह बनाम ओमप्रकाश सिंह

मुकदमा .... नं. 23 सन् 13

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.8.20 पत्रावली पेश / वकील वादी उप. वकील वादी ने महे.3. प्रकाश, ओमप्रकाश के बयान कलमबंद करवाये। और साक्ष्य बंद करना चाहते है। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 24.08.20 को पेश हो सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर 24.8.20 पत्रावली पेश / वकील उभय पक्षकारान उप. बहस समायत की गई। पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 02.09.20 को पेश हो सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर 2.9.20 पत्रावली पेश / वकील उभय पक्षकारान उप. वादी का दावा राजीनामा अनुसार फैसला किया -	महेन्द्र सिंह ओमप्रकाश हेमराज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	[illegible]
	सहायक कलेक्टर (SDO). [illegible]

ंख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी घोषित की जाना उचित एवं न्यायसंगत है। तथा व.न. 32 का शेष खाता बदस्तुर रखा जावें।

ीनामा के अनुसार किये गये हक हिस्से के आधार पर आज दिन पक्षकारान मौके पर ीनामा अनुसार खातेदारी घोषणा की जाती है तो हम पक्षकारान को कोई आपति नहीं क्ता वादी ने श्री महेन्द्र, लक्ष्मण, गोरधनसिंह के बयान कलमबद्ध करवायें। विद्वान ने अपने वाद के समर्थन में मौजा माडपुरा की जमाबन्दी की नकल संवत 2071 से ्या 99 एवं 34, आदी प्रेश किये ।

वक्ता उभयपक्षकारान की बहस समायत की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली ई का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड से यह स्पष्ट रूप से ताईद दग्रस्त आराजी पक्षकारान की पुश्तैनी आराजी है और इसका बंटवाड़ा एवं खातेदारी ा पक्षकारान को अधिकार है। उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजी के रिकोर्डेड खातेदार राजीनामा से बंटवाड़ा चाहाते है तथा इसी में सभी पक्षकारान की सहमति है। और लेखित राजीनामा प्रस्तुत किया है। तथा पक्षकारान विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं ौजुद रेकर्ड, शहादत एवं प्रस्तुत राजीनामा अनुंसार पक्षकारान का उक्त राजीनामा जाता है इसी राजीनामा अनुसार ही दावा डिकी किया जाता है। स्टाम्प डयूटी प्रस्तुत पर्चा जारी हो। तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार खींवसर को

निर्णय

कि मौजा माडपुरा के खेत खसरा नवंर 984/32 रकबा 31.10 बीघा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 1/5–1/5 भाग की खातेदारी घोषित की जाती है।

कि मौजा माडपुरा के खेत खसरा नवंर 32 रकबा 31.11 बीघा में 1/3 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है, प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 1/15–1/15 भाग की खातेदारी घोषित की जाती है।

कि वादग्रस्त ख.न. 984/32 में गोरधनसिंह उर्फ भवानीसिंह के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को 1/5–1/5 भाग से संयुक्त खातेदार व ख.न. 32 रकबा 31.11 बीघा में गोरधनसिंह उर्फ भवानीसिंह के स्थान पर 1/15–1/15 भाग की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी घोषित की जाती है। तथा ख.न. 32 का शेष खाता बदस्तुर रखा जाता है।

नोटः– अगर किसी बैंक में उपरोक्त खसरान रहन हो तो रहन मुक्त होने तक रहन यथावत रहेगे। उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

राजकेश मीना RAS
(सहायक कलक्टर)
खींवसर

निर्णय आज दिनांक : 02/07/20...... को रारे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(सहायक कलक्टर)
खींवसर